प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला दौसा, थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2023 प्र0सू0रि0 सं. 243/23 दिनांक 11/9/2023
2. (I) अधिनियम ... धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
   (II) अधिनियम .... धारायें .....
   (III) अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 214 समय 3:30 pm
   (ब) अपराध घटने का दिन व दिनांकः– सोमवार व दिनांक 17.07.2023
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 11.07.2023 समय 11.15 ए0एम0
4. सूचना की किस्म :– लिखित
5. घटनास्थल :– पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–करीब 1 कि0मी0 लगभग, उत्तर दिशा में
   (ब)पता – पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा
   बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री राधेश्याम
   (ब) पिता/पति का नाम – स्व0 श्री हीरालाल महावर
   (स) जन्म तिथी/वर्ष .....करीब 36 वर्ष..
   (द) राष्ट्रीयता .....भारतीय.....
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .....
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय– कलर पेन्टर का कार्य
   (ल) पता– निवासी बावडी पाडा दौसा हाल निवासी बजंरग नगर सैथल रोड बाईपास पुलिया के आगे जिला दौसा
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –
   श्री रामस्वरूप मीणा पुत्र श्री श्रीपाल मीणा हाल कानि. 934 पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.... कोई नहीं.
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ट्रेप रिश्वती राशि–सत्यापन रिश्वती राशि 2,000/–रूपये
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .सत्यापन रिश्वती राशि 2,000/–रूपये
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि परिवादी श्री राधेश्याम कोली पुत्र स्व0 श्री हीरालाल कोली जाति महावर उम्र 36 वर्ष निवासी बावडी पाडा, दौसा हाल निवासी बजरंग नगर, सैंथल रोड बाई पास पुलिया के आगे, दौसा ने दिनांक 11.07.2023 को कार्यालय में उपस्थित होकर श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो दौसा को कार्यवाही हेतु एक लिखित रिपोर्ट पेश की। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट का श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवलोकन कर मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाया तथा अपने पास बैठे परिवादी श्री राधेश्याम कोली से मेरा परिचय करवाते हुए उसके द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र को अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया गया। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को हमराह लेकर अपने कक्ष में आया व परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो लिखित रिपोर्ट इस आशय की पाई गई कि मैं बजरंग नगर, सैंथल रोड, जिला दौसा का निवासी हूं मैं कलर पेन्ट करने का कार्य करता हूं मैंने दिनांक 25.07.23 को पुलिस थाना

कोतवाली दौसा में मेरे पारिवारिक लडाई–झगडे के लिये एक रिपोर्ट की थी। इसके दो–तीन दिन बाद में माताजी ने भी हमारे घर के बंटवारे के लिए और आपसी कलह के कारण मेरे एवं बच्चों के खिलाफ कोतवाली दौसा में रिपोर्ट दी थी। इसके बाद दिनांक 10.07.2023 को हमारे बीट कानि. श्री रामस्वरूप मीणा, कोतवाली दौसा से हमारे घर आया था जिसके पास मेरे बीवी बच्चे के नाम पर एस.डी.एम. कोर्ट दौसा से माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 (1) के तहत जारी नोटिस लेकर आया था और हमे गिरफ्तार करने की धमकी देकर थाने के बाहर मिलने के लिये कहा। तब उसी दिन उससे मिलने पर उसने मुझसे 5000 रू. की मांग की और नहीं देने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी तब मैने उसे 500 रू. देकर शान्त किया जिस पर उसने मुझसे कहा कि बाकी के पैसे जब मैं तुझे बुलाउं तब लेकर आना। उसने ये भी कहा कि अगर तुम मेरा ध्यान रखोगे तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट जो तुमने कोतवाली में दी है, उस पर भी राजीनामा करवा दूंगा। इसके बाद आज दोबारा मेरे पास रामस्वरूप मीणा आया और 1500 रू. और लेकर चला गया इस पर मैं आपके पास आया हूं। मैं रामस्वरूप मीणा बीट कानि. को कोई रिश्वत देना नहीं चाहता हूं उसके द्वारा मुझसे अभी भी 2000 रू. की मांग की जा रही है और उसने ये कहा है कि जब मैं फोन करूं या किसी से कहलवाउं तभी मेरे से थाने के बाहर आकर मिलना। मेरी इस रामस्वरूप मीणा कानि. से कोई रंजिश या आपसी दुश्मनी नहीं है। कृपया कानूनी कार्यवाही करे। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई, तो परिवादी द्वारा उक्त लिखित रिपोर्ट अपनी हस्तलिखित होना एवं उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना बताते हुए बताया कि श्री रामस्वरूप मीणा, कानि. ने मुझे ये कहा है कि मैं जब भी आपको फोन कर बुलाउ तभी मुझसे मिलने आना अन्यथा मत आना। इस पर परिवादी को संदिग्ध आरोपी द्वारा बुलाने पर कार्यालय में उपस्थित होने व मांग सत्यापन कार्यवाही बाबत बताकर मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 17.07.2023 को परिवादी श्री राधेश्याम कोली कार्यालय में उपस्थित आया व श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि संदिग्ध आरोपी श्री रामस्वरूप मीणा कानि. ने मुझे सैंथल रोड, दौसा पर बुलाया है। इस पर परिवादी को कार्यालय का डिजिटल टेपरिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी के साथ कानि0 श्री प्रेम प्रकाश नं. 382 को मांग सत्यापन हेतु आरोपी के बताये अनुसार सैंथल रोड, दौसा के लिए रवाना किया। समय 05.30 पीएम पर परिवादी श्री राधेश्याम कोली व श्री प्रेम प्रकाश नं. 382 बाद सत्यापन सैंथल रोड दौसा से कार्यालय में उपस्थित आये और परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल टेपरिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मै और आपका कानि0 श्री प्रेमप्रकाश यहां से रवाना होकर सैंथल रोड, दौसा के नजदीक पहुॅचकर मोटरसाईकिल को एक साईड में खडी की। इसके बाद मै तो टेपरिकॉर्डर को चालूकर सैंथल रोड, दौसा पर श्री रामस्वरूप मीणा कानि. कोतवाली दौसा के पास चला गया और आपका कानि0 श्री प्रेम प्रकाश आस–पास ही खडा हो गया। श्री रामस्वरूप मीणा, कानि. कोतवाली दौसा मुझे सैंथल रोड, दौसा पर दुर्गा मन्दिर के पास खडा मिला, उससे मैने अपने पुलिस थाना कोतवाली दौसा में मेरी पत्नि द्वारा दिये गये परिवाद के सम्बन्ध में बात की तो श्री रामस्वरूप ने मुझे अपने कार्य के बदले में 2000/–रूपये देने के लिये कहा, उससे हुई सभी बातों को मैंने टेप कर लिया और फिर वहां से रवाना होकर श्री प्रेम प्रकाश कानि0 के पास आकर उनको ये सभी बाते बताई। इसके बाद हम वहां से रवाना होकर आपके कार्यालय में आये। परिवादी की बातों की ताईद श्री प्रेम प्रकाश कानि0 ने भी की। इसके बाद डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालूकर सूना तो उसमें आई वार्ता में संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी के कार्य के बदले में 2,000/–रूपये रिश्वत की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया तथा परिवादी द्वारा बताई

गई बातों की पुष्टि होना पाया। टेप रिकॉर्डर को वापस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। इसके पश्चात् दिनांक 18.07.2023 को परिवादी पुनः कार्यालय में उपस्थित आया और बताया कि मुझे सुबह 8.30 ए.एम. पर जब मैं अपने काम से बाजार आया तो श्री रामस्वरूपजी मुझे सब्जी मण्डी, बस स्टैण्ड के पास चाय की दुकान पर मिल गये, जिन्होंने मेरे को रिश्वत राशि बाबत कहा तो मैंने उनको कहा साहब अब तो मेरे पास नहीं है आपने तो शाम तक बुलाया था, मैं शाम को लेकर आपके पास आ जाउंगा। अब तो मैं बाजार में अपने काम आया था, इस पर उन्होने मुझे कहा कि शाम को मत आना मैं कही बाहर जा रहा हूं अब तुम एक–दो दिन बाद आना। इस पर परिवादी की बातों को सही मानते हुए परिवादी को दिनांक 20.07.2023 को समय 9.30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता बनाये रखने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 20.07.2023 को पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी के कार्यालय में उपस्थित आने के बाद जरिये दूरभाष पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री मंगल सिंह मीना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0 वृत्त दौसा एंव श्री दीपक शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, सा0नि0वि0 उपखण्ड नागंल राजावतान (लवाण–ा) दौसा कार्यालय में उपस्थित आये। जिनका परिचय कर कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दोनों ने अपनी–अपनी स्वेच्छा से अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनों गवाहान का परिवादी श्री राधेश्याम कोली से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 11.07.2023 को पेश किया गया लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने अपना हस्त लिखित होना तथा उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद किया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद परिवादी तथा संदिग्ध आरोपी श्री रामस्वरूप मीणा कानि. पुलिस थाना कोतवाली दौसा के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 17.07.2023 को टेप किया गया था एंव जिसको सुनकर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला गया व वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द–ब–शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ता में आरोपी श्री रामस्वरूप मीणा कानि. पुलिस थाना कोतवाली दौसा की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री राधेश्याम कोली द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वॉईस क्लिप से शब्द–ब–शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता के पैन ड्राईव व डीवीडी बनाने हेतु दो पैन ड्राईव व दो डीवीडी खाली मगंवाई जाकर चारों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की कम्प्यूटर की सहायता से बारी–बारी से दो पैन ड्राईव व दो डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर दोनों पैन ड्राईव व दोनों डीवीडी पर मार्क– A-1, A-2, A-3, A-4 अंकित कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री राधेश्याम कोली के हस्ताक्षर करवाकर दोनों पैन ड्राईव व एक डीवीडी मार्क A-1, A-2, A-3 को प्लास्टिक के कवर में अलग–अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित दोनों पैन ड्राईव व डीवीडी को अलग–अलग सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित कर, सील चिट चस्पाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया जाकर एचएम मालखाना श्री

बनवारीलाल हैड कानि0 के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया तथा दूसरी डीवीडी मार्क A-4 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री मंगल सिंह मीना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री दीपक शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री राधेश्याम कोली को संदिग्ध आरोपी श्री रामस्वरूप मीणा कानि. को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 04 नोट कुल 2000/–रू० निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये। परिवादी द्वारा पेश शुदा नोटों पर श्री नितिन कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 500 रूपये के चार नोट कुल 2000/– रूपये के नोटों को रखकर उन पर श्री नितिन कनिष्ठ सहायक से अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री राधेश्याम कोली की जामा तलाशी गवाह श्री मंगल सिंह मीना से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त 2000/– रूपये के नोटों को श्री नितिन कनिष्ठ सहायक से परिवादी की पहनी हुई पेंट की बगल की बाई जेब में रखवाये गये एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को जब तक नही छुयेगा तब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नहीं करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उसे देवे और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादी को आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन् पुलिस निरीक्षक को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोपथलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक कांच के गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्री नितिन कनिष्ठ सहायक के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवायी गयी तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि ली है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात पाउडर लगाने वाले श्री नितिन कनिष्ठ सहायक के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रैप बाक्स में रखी खाली शिशीया. ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर आरोपी एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट एंव सुपुर्दगी डिजीटल टेपरिकार्डर पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री राधेश्याम कोली व स्टाफ सदस्य सर्व श्री

मुनेश कुमार, उप निरीक्षक पुलिस, श्री दौलत राम हैड कानि. नं. 101, श्री झाबर सिंह कानि0 83, श्री प्रेम प्रकाश कानि. नं. 382, श्री अशोक कुमार कानि0 505, श्री राकेश कानि0 70, श्री मुकेश कुमार कानि. 101 व श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 155 के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के दो प्राईवेट वाहन, प्राईवेट मोटरसाईकिल एवं परिवादी की मोटरसाईकिल से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना कोतवाली दौसा के लिए रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली दौसा के नजदीक पहुॅचा, जहां पर वाहनों को मैन रोड के एक साईड में खडा करवाकर परिवादी को डिजिटल टेपरिकॉर्डर चालू करने की मुनासिब हिदायत कर पुलिस थाना कोतवाली में आरोपी के पास रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक व बाकी स्टाफ सदस्य भी वाहन से नीचें उतरकर परिवादी के पीछे–पीछे रवाना होकर अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये थाने के ईधर उधर खडे होकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री राधेश्याम कोली बिना कोई ईशारा किये हुये ही पुलिस थाना कोतवाली दौसा से बाहर निकलकर मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया और बताया कि साहब मैंने श्री रामस्वरूप मीणा कानि., को पुलिस थाना कोतवाली दौसा में देखा तो वह नहीं मिला। इस पर मैंने थाने के गेट पर सन्तरी ड्यूटी पर लगी महिला कानि. से श्री रामस्वरूप कानि. बाबत पूछा तो उसने श्री रामस्वरूप मीणा का कहीं बाहर जाना बताया है। इस पर परिवादी की बातों को सही मानते हुए आगे की कार्यवाही सम्भव नहीं होने के कारण मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर मय हमराहीयान के जरिये वाहनों के रवाना होकर एसीबी कार्यालय दौसा पहुंचे जहां ट्रेप बाक्स आदि सामान को जमा मालखाना करवाया गया तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने परिवादी से रिश्वती राशि नम्बरी 2000/–रूपये को एक खाकी लिफाफे में रखवाकर सुरक्षा की दृष्टि से श्री लोकेश कुमार, कानि. नं. 155 के मार्फत श्री बनवारी लाल हैड कानि0 से जमा मालखाना करवाया गया। इसके बाद आगे की ट्रेप कार्यवाही सम्पन्न नहीं होने के कारण दोनों स्वतन्त्र गवाहान को रवाना कर साथ ही परिवादी श्री राधेश्याम कोली को संदिग्ध आरोपी श्री रामस्वरूप मीणा कानि. के बुलाने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित कर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 2.08.2023 को परिवादी श्री राधेश्याम कोली कार्यालय में उपस्थित आया व बताया कि मेरे से संदिग्ध आरोपी श्री रामस्वरूप मीणा, कानि. पुलिस थाना कोतवाली दौसा ने कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन मैं कल दिनांक 01.08.2023 को शाम को सब्जी मण्डी में सब्जी लेने के लिये आया था तब मुझे लक्ष्मी होटल के पास श्री रामस्वरूप मीणा कानि. मिल गया और मुझे कहा कि आप मेरे विरूद्ध एसीबी में कार्यवाही करवा रहे थे, मुझे सब पता है, मेरे पास अब आपका कोई कार्य भी नहीं है और अब मैं न तो आपसे कोई बातचीत करूंगा और न ही आपसे कोई रूपये लूंगा। मैंने उनको कार्यवाही बाबत मना किया लेकिन वे नहीं माने। मेरे द्वारा उनके खिलाफ करवाई जा रही कार्यवाही की उनको भनक लग चुकी है। अब वह मेरे से न तो रिश्वत राशि प्राप्त करेगा और न ही रिश्वत के संबंध में मेरे से वार्ता करेगा। अतः आप मुझे मेरे द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु पेश की गई रिश्वती राशि 2000/–रूपये वापस लौटाते हुए कार्यवाही बन्द करने का श्रम करें। इस पर परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय में बैठाया गया और स्वतंत्र गवाहान को जरिये दूरभाष कार्यालय में बुलाया जाने पर उनके उपस्थित आने पर दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा बताई गये तथ्य से अवगत करवाया गया तथा परिवादी के बताये अनुसार आरोपी श्री रामस्वरूप मीणा द्वारा अपने पास परिवादी का कोई कार्य पैण्डिंग नहीं होना व स्वयं के विरूद्ध परिवादी द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही का पता चलने व शक होने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही संभव नहीं होने पर परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री मंगल सिंह मीना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधिक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0

वृत्त दौसा एंव श्री दीपक शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, सा0नि0वि0 उपखण्ड नागंल राजावतान (लवाण–II) दौसा के सामने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने द्वारा दिनांक 17.07.2023 को आरोपी की मांग अनुसार पेश की गई रिश्वत राशि 2,000/–रूपये वापस लौटाने व कार्यवाही को बन्द करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर परिवादी द्वारा दिनांक 20.07.2023 को पेश की गई रिश्वती राशि 2,000/–रूपये के नोटों को बदलकर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर जरिये फर्द परिवादी को रिश्वती राशि वापस लौटाई जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर गवाहान व परिवादी को कार्यालय से रवाना किया गया।

सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री रामस्वरूप मीणा कानि. पुलिस थाना कोतवाली दौसा, जिला दौसा एक लोक सेवक होते हुए अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की ऐवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुए परिवादी श्री राधेश्याम कोली पुत्र स्व0 श्री हीरालाल कोली जाति महावर उम्र 36 वर्ष निवासी बावडी पाडा, दौसा हाल निवासी बजरंग नगर, सैंथल रोड बाई पास पुलिया के आगे, दौसा से उनका आपस में पारिवारिक झगडा होने पर अपनी पत्नि द्वारा पुलिस थाना कोतवाली दौसा में दी गई रिपोर्ट एवं परिवादी एवं उसकी पत्नि के खिलाफ उसकी माताजी एवं पिताजी द्वारा एस.डी.एम. कोर्ट दौसा से वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 (1) के तहत जारी नोटिस में गिरफ्तार करने के लिये कह कर राजीनामा करवाने की ऐवज में मांग सत्यापन दिनांक 17.07.2023 को परिवादी से 2000/–रूपये की रिश्वत की मांग कर दिनांक 18.07.2023 की शाम को लेकर आने के लिये कहना स्पष्ट रूप से पाया गया। आरोपी रामस्वरूप मीणा पुत्र श्रीपाल मीणा हाल कानि. 934 थाना कोतवाली जिला दौसा का उक्त कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री रामस्वरूप मीणा पुत्र श्रीपाल मीणा हाल कानि. 934 थाना कोतवाली जिला दौसा के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(नवल किशोर)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
दौसा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री नवल किशोर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामस्वरूप मीणा पुत्र श्री श्रीपाल मीणा, कानि0 934, पुलिस थाना कोतवाली, जिला दौसा के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 243/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

11.9.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2744-47 दिनांक 11.09.2023
प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-2
2. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, दौसा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा।

11.9.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।